सं. 19/14/2026-स्थापना-भाग(2)

# भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली – 110029

दिनांक: – 25 मई 2026

## कार्यालय आदेश

**विषय: - परिषद में लेखा अधिकारी के पद पर कार्यभारग्रहण करने के संबंध में।**

परिषद के दिनांक 02 अप्रैल, 2026 के पत्र संख्या 6-2(12)/2023-स्थापना के संदर्भ में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, निम्नलिखित उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में सीधी भर्ती के आधार पर लेखा अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 10 (रु. 56,100 – 1,77,500) में और समय-समय पर यथाग्राह्य नियमानुसार सामान्य भत्तों सहित अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है, यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी (जैसा कि प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने बताया गया है): -

| क्रं.सं. | नाम | कार्यभार ग्रहण करने की तारीख |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती सुनीता कुमारी भामू | 17 अप्रैल, 2026 |
| 2. | श्री सतीश चौहान | 20 अप्रैल, 2026 |
| 3. | श्री सुनीत कुमार दर्जी | 21 अप्रैल, 2026 |

2. यह नियुक्ति अस्थाई है और सरकारी अस्पताल द्वारा विधिवत रुप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण, तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित अधिकारियों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त और जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) के सत्यापन के अधीन है।

3. वे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।

4. उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती संबंधी आदेश उचित समय पर अलग से जारी किए जाएंगे।

5. वे परिषद के अधीन सेवा के सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा शासित होंगे।

6. उनका वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और CCS (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

7. इस मद पर होने वाला व्यय, परिषद मुख्यालय के वर्ष 2026-2027 के बजट में "वेतन और भत्ते" शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों से पूरा किया जाएं।

8. परिषद के दिनांक 02 अप्रैल, 2026 के पत्र संख्या 6-2(12)/2023-स्थापना के अन्य नियम और शर्तें यथावत रहेंगी।

-हस्त-

(रीमा शर्मा)

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

**संबंधित अधिकारी (03)**

प्रतिलिपि: -

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक (आई/एम एवं ई/एम)/वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
2. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (प्रशा.) (आर एडं पी)/सहायक महानिदेशक दोनों (वित्त एवं प्रशा.)।
3. उपर्युक्त अधिकारियों से संबंधित पूर्व विभाग को सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
5. प्रशासन अधिकारी, आरक्षण प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
6. नोडल अधिकारी, ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी, आरटीआई प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी /बिल अनुभाग, परिषद मुख्यालय।
9. लेखा-VI, परिषद मुख्यालय।
10. बजट/गार्ड फाइल।
11. संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत फाइल।